विजय कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 40/2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांक: अक्टूबर 10, 2023

विषयः क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9126/2023 जितेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 14.09.2023 के अनुपालन में सम्मन/वारण्ट तामीला की व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु दिशा-निर्देश —

प्रिय महोदय/महोदय,

क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9126/2023 जितेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 10.07.2023 के अनुपालन में सम्मन/वारण्ट आदि के प्रभावी तामीला हेतु तथा अनुश्रवण हेतु डीजी परिपत्र संख्या-30/2023 के माध्यम से विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ। सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश दिनांकित 14.09.2023 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सम्मन/वारण्ट तामीला की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं विधि संगत बनाने हेतु निम्नवत निर्देशित किया गया है—

> " This Court in Bhanwar Singh @ Karamvir (supra) had extracted details of relevant provisions of the Cr.P.C. and the Government Orders which nominated the officers responsible for service of summons and execution of coercive measures passed by trial courts. Further this Court also found that the current system of departmental accountability was not only insufficient but virtually non existent. It is enabling the police officers to flout the orders passed by the learned trial courts with a sense of impunity. Various solutions were proposed as well as were discussed in the judgment. However, the affidavit of Director General (Prosecution) also does not reflect consideration of the judgment passed by this Court rendered by this Court in Bhanwar Singh @ Karamvir (supra).
>
> Prima facie the affidavit reflects a new trend and rather disturbing tendency in the U.P. Police force. From the affidavit it appears that the junior officers have been set up as mere scapegoats, while superior officers duly nominated by statute and government orders alike are evading all accountability for failure to perform their statutory duties.
>
> Past traditions of the U.P. Police are glorious. The senior leadership has always led from the front in any time of crisis, and has never avoided responsibilities imposed by law. The affidavit submitted by the Director General (Prosecution) gives an impression that the past traditions are no longer being honored.
>
> This Court would like to reiterate, add and emphasis that the failure of the police authorities to serve summons and execute coercive measures is single most important factor which is contributing to the delay in disposal of criminal trials and is denting the credibility of the judicial process.

Scanned with CamScanner

In this wake, this Court is forced to call for the personal affidavits of Additional Chief Secretary (Home), Government of Uttar Pradesh, Lucknow as well as Director General of Police, Government of Uttar Pradesh, Lucknow on the following issues:

I. The current system of departmental accountability of officials nominated by statutes for service of summons and execution of coercive measures issued by the trial courts has failed.

II. To create an efficacious departmental accountability system where officers nominated by the statute (Cr.P.C. as well as Government Orders from time to time) are held accountable for failures to serve summons and execute coercive measures and the inability to compel appearance of witnesses despite orders of the Court. The aforesaid officers nominated by the statute and the government order for the aforesaid purpose are Executive Magistrate, Superintendent of Police of the districts, Commissioner of Police, as well as Inspector General of Police.

III. The system of accountability in the department will become efficacious only if the performance of officers is also judged on the yardsticks of their ability to serve summons, execute coercive measures issued by the court and compel appearance of witnesses on the dates fixed before the learned trial court.

IV. Penalty for departmental action/penalty for failure to comply with the orders of the Court if the explanation for the same is not satisfactory is also liable to be included if the statutory schemes of summons and enforcement of coercive measures have to be implemented as per law.

V. The Director General of Police as well as Additional Chief Secretary (Home) shall also consider the judgment rendered by this Court in Bhanwar Singh @ Karamvir (supra) and the report of the JTRI while filing their affidavits."

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त आदेश में मुख्य रूप से क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र 16771/2023 भंवर सिंह उर्फ करमवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 24.08.2023 तथा सम्मन/वारण्ट तामीला के सम्बन्ध में वर्तमान आपराधिक विधियों में विद्यमान विधिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुये तद्नुसार सम्मन/वारण्ट का समुचित तामीला किये जाने तथा इस कार्य में उपेक्षावान रहने वाले पुलिसकर्मियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु नियम बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में सम्मन/वारण्ट तामीला को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निम्नवत व्यवस्था की जाती है—

- न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट/नोटिस इत्यादि) के प्रभावी तामीला हेतु प्रत्येक कमिश्नरेट व जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है ।

.....3

Scanned with CamScanner

- प्रत्येक नोडल अधिकारी कार्यालय में विभिन्न न्यायालयों में से प्राप्त सम्मन / वारण्ट को एक केन्द्रीय पंजिका में अंकित करने तथा अंकन के बाद सम्बन्धित को तामीला हेतु प्रेषित करने हेतु डेस्क की स्थापना की जायेगी तथा एक केन्द्रीय रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें प्रतिदिन तामीला हेतु प्राप्त होने वाले आदेशिकाओं का विवरण तथा तामीला/अदम तामीला आदेशिकाओं की यथास्थिति अंकित की जायेगी। सम्मन/वारण्ट डेस्क पर आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मी तैनात किये जायेंगे।
- सम्मन तामीला के बाद प्राप्त होने वाली तामीला रिपोर्ट को इसी डेस्क पर तैनात पुलिसकर्मी द्वारा केन्द्रीय पंजिका में अंकित किया जायेगा तथा तामीला रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जायेगी।
- तामील करायी गयी आदेशिकाओं (सम्मन / वारण्ट नोटिस आदि) के अनुपालन में न्यायालय में उपस्थित , परीक्षित साक्षियों का विवरण भी सम्मन / वारण्ट डेस्क द्वारा संकलित की जायेगी तथा समय-समय पर सक्षम स्तर पर समीक्षा की जाये।
- नोडल अधिकारी अपने कार्यालय में स्थापित सम्मन/वारण्ट तामीला पंजिका का साप्ताहिक मुआयना करेंगे तथा सम्मन तामीला के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देशित निर्गत करेंगे।
- सम्मन/वारण्टों की तामीला तथा अदम तामीला का पाक्षिक विवरण पत्र तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर अपराध गोष्ठी में नोडल अधिकारी द्वारा सम्मन/वारण्ट की तामीला में शिथिलता बरतने वाले थाना-प्रभारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को संवेदनशील किया जायेगा।
- सम्मन/वारण्ट तामीला डेस्क पर प्रत्येक माह प्राप्त होने वाले सम्मनों/वारण्टो के तामीला या अदम तामीला के सम्बन्ध में एक मासिक विवरण पत्र तैयार किया जायेगा और अवलोकन हेतु नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अधिकारी सम्मन/वारण्ट के तामीला में शिथिलता बरतने वाले थाना-प्रभारियों को लिखित रूप से सचेत करेंगे। यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपने कार्य में यथोचित सुधार नहीं किया जाता है तो तीन माह तक लगातार सम्मन/वारण्ट के तामीला के कार्य में शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारियों एवं उनके अधीनस्थों के विरुद्ध नियमानुसार "कारण बताओ नोटिस" निर्गत करते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- जनपद स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक एवं कमिश्नरेट स्तर पर सहायक पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले थानों द्वारा किये जा रहे सम्मन/वारण्ट तामीला के कार्य का नियमित अनुश्रवण करेंगे एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करेंगे। यदि किसी पर्यवेक्षण अधिकारी के क्षेत्राधिकारिता वाले थानों द्वारा किये जा रहे सम्मन तामीला के कार्य में निरन्तर शिथिलता दृष्टिगोचर होती है तो पर्यवेक्षण अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जायेगा।
- नोडल अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के न्यायालयों से प्राप्त सम्मन/वारण्ट के तामीला हेतु उत्तरदायी होंगे तथा लगातार अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन कर समस्त आदेशिकाओं का ससमय प्रभावी तामीला सुनिश्चित करायेंगे।
- नोडल अधिकारियों के कार्य की नियमित समीक्षा जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा की जायेगी एवं आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे। जिन नोडल अधिकारियों के कार्य में निरन्तर शिथिलता परिलक्षित हो उनके सम्बन्ध में सूचना इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

Scanned with CamScanner

जनपद/थानों के प्रभावी तामीला हेतु जो प्रक्रिया डीजी परिपत्र संख्या-30/2023 दिनांकित 6.08.2023 द्वारा निर्धारित की गयी है, उसमें आंशिक परिवर्तन करते हुये अपर पुलिस अधीक्षक के स्थान पर पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है शेष निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करने में शिथिलता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

(विजय कुमार)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/ रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था/अपराध),उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned with CamScanner